



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ
माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा
37 के तहत अपील दोषपूर्ण संख्या - 4 वर्ष 2026

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से
और 3 अन्य

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

मैसर्स चन्नी एंड कंपनी प्रोपराइटरशिप फर्म द्वारा स्वामी सरदार गुरु चन्नी

.....उत्तरदाता(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राज मणि दुबे, एस.सी.
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भसाली, मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति जसप्रित सिंह

1. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 37 के अंतर्गत यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 2, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25.06.2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
2. कार्यालय ने अपील को 219 दिनों के लिए समय सीमा समाप्त होने की सूचना दी है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

3. अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जिसके साथ लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के सहायक अभियंता का हलफनामा भी संलग्न है।
4. यह निवेदन किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पारित विवादित निर्णय की प्रति 04.03.2024 को प्राप्त हुई थी (जब हलफनामे में उल्लिखित उक्त तिथि निर्णय की तिथि से पहले की बताई गई, तो यह कहा गया कि यह एक टाइपिंग त्रुटि है)। हलफनामे में आगे कहा गया है कि 09.07.2025 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद, यानी लगभग चार महीने बाद, मामला मुख्य स्थायी वकील को भेजा गया, जिन्होंने 25.07.2025 को अपनी राय दी।
5. आगे यह भी संकेत दिया गया है कि कानूनी राय प्राप्त करने के बाद, मामले को मुख्यालय को भेजा गया, जिसने बदले में इसे सरकार के प्रशासनिक विभाग को भेज दिया, जिसने 08.09.2025 को अपील दायर करने की अनुमति दी। मुख्य स्थायी वकील से 24.09.2025 को संपर्क किया गया, जिन्होंने मामले को स्थायी वकील को सौंप दिया, जिन्होंने 04.10.2025 को अपील का आंशिक मसौदा तैयार किया और देरी का स्पष्टीकरण मांगा।
6. अभिलेख 18.10.2025 को उपलब्ध कराया गया था और देरी के संबंध में विवरण 05.11.2025 को प्रदान किया गया था। इसके बाद 05.02.2026 को अपील दायर की गई है।
7. यह दावा किया जाता है कि अपील दाखिल करने में हुई देरी वास्तविक, *सद्भावनापूर्ण* और अनजाने में हुई है और यह प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे समय के कारण हुई है, जिसमें आधिकारिक कार्यों के अनुशासित और व्यवस्थित निष्पादन के कुछ मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है।
8. उपरोक्त दलीलों के आधार पर, अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की प्रार्थना की गई है।
9. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि प्रक्रिया में देरी हुई है। हालांकि, जब कई अस्पष्ट अंतरालों की ओर इशारा किया गया, जिनमें आदेश पारित होने के लगभग चार महीने बाद पहली बार राय मांगी गई, जबकि अपील दाखिल करने की समय सीमा केवल 60 दिन है और अपील दाखिल करने की अनुमति

- मिलने के बाद पांच महीने का समय लगा, तो आवेदन दाखिल करने के लिए दिए गए अस्पष्ट और असंगत बहाने के अलावा और कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
10. हमने प्रस्तुत किए गए सभी निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया है।
 11. गलत तिथियों का उल्लेख करते हुए और यह दावा करते हुए कि राय तुरंत मांगी गई थी, जबकि यह तुरंत निर्णय की तारीख से चार महीने बाद हुआ था, दायर किए गए आवेदन की प्रकृति राज्य के खिलाफ पारित निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाने के प्रति अपीलकर्ताओं के अधिकारियों की पूर्ण उदासीनता को दर्शाती है।
 12. यह सर्वविदित है कि अपील दाखिल करने के संबंध में विभागीय संचार, पत्रों का आदान-प्रदान आदि विलंब की क्षमा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकते, क्योंकि लापरवाहीपूर्ण कार्य और उचित सावधानी की कमी विलंब की क्षमा चाहने वाले व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बसवराज बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एससीसी 81** के मामले में निम्नलिखित कहा है:-

“15. इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि कोई मामला न्यायालय में निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया है, तो आवेदक को न्यायालय को यह स्पष्ट करना होगा कि “पर्याप्त कारण” क्या था, जिसका अर्थ है वह पर्याप्त और उचित कारण जिसके कारण वह निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में नहीं पहुँच सका। यदि किसी पक्ष को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लापरवाही का दोषी पाया जाता है, या उसकी ओर से सद्भावना का अभाव पाया जाता है, या उसने तत्परता से कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो विलंब को क्षमा करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता। कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकार की शर्त लगाकर ऐसे अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का औचित्य नहीं ठहरा सकता। आवेदन का निर्णय केवल इस न्यायालय द्वारा विलंब क्षमा के संबंध में निर्धारित मापदंडों के भीतर ही किया जाना चाहिए। यदि किसी वादी को समय पर न्यायालय में पहुँचने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो बिना किसी औचित्य के, किसी भी प्रकार की शर्त लगाकर विलंब को क्षमा करना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका के प्रति घोर अवहेलना प्रदर्शित करने के समान है।”
 13. राज्य और उसके संस्थानों की सुस्ती भरी मनोवृत्ति की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (2012) 3 एससीसी 563** मामले में कड़ी निंदा की है, जिसमें राज्य की ओर से उसकी एजेंसियों और सरकारी निकायों द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

29. हमारी राय में, अब समय आ गया है कि सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और संस्थाओं को सूचित किया जाए कि जब तक उनके पास देरी का कोई उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो और वास्तविक प्रयास न किया गया हो, तब तक इस सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में अत्यधिक लालफीताशाही के कारण फाइल कई महीनों/वर्षों तक लंबित रही। सरकारी विभागों पर यह विशेष दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन लगन और प्रतिबद्धता से करें। देरी की माफी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए एक संभावित लाभ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

30. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभाग द्वारा विलंब के लिए विभिन्न तिथियों का उल्लेख करने के अलावा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, हमारे अनुसार विभाग इतने बड़े विलंब को क्षमा करने के लिए कोई स्वीकार्य और ठोस कारण देने में बुरी तरह विफल रहा है। इसलिए, विलंब के आधार पर अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

14. अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दाखिल करने में देरी की माफी की सीमा से संबंधित मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **महाराष्ट्र सरकार बनाम बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड. (2021) 6 एससीसी 460** में आया, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

63. उपरोक्त बातों और मध्यस्थता अधिनियम तथा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत शीघ्र निपटान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत दायर अपीलों के लिए, जो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 और 117 या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13(1ए) के अंतर्गत आती हैं, क्रमशः 90 दिन, 30 दिन या 60 दिन से अधिक की देरी को अपवाद के रूप में क्षमा किया जाना चाहिए, नियम के रूप में नहीं। उपयुक्त मामले में, जिसमें पक्ष ने सदभावनापूर्वक और लापरवाही से कार्य नहीं किया है, न्यायालय के विवेक पर ऐसी अवधि से अधिक की थोड़ी देरी को क्षमा किया जा सकता है, हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि दूसरी ओर, न्याय और निष्पक्षता दोनों के अनुसार, वह प्राप्त हो सकता है जो प्रथम पक्ष की निष्क्रियता, लापरवाही या विलंब के कारण अब खो सकता है।

15. अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न एक अन्य निर्णय में, जिसमें राज्य द्वारा वैधानिक अवधि के बाद अपील दायर करने में इसी तरह का बचाव करने का प्रयास किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मेसर्स सतीश चंद शिवहरे एंड ब्रदर्स: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2151** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

17. याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में विलंब क्षमादान हेतु दायर आवेदन के समर्थन में दिए गए हलफनामे में दी गई व्याख्या, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अपील दायर करने में हुई 337 दिनों की अत्यधिक देरी को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनती। परिसीमा का कानून सरकार सहित सभी पर लागू होता है। लालफीताशाही, फाइलों को टालना और प्रक्रियाओं की जटिलता जैसे सामान्य स्पष्टीकरणों को पर्याप्त कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकारी विभागों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें कि परिसीमा के कानून के लागू होने से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का उनका अधिकार समाप्त न हो जाए। सरकार के शामिल होने मात्र से विलंब क्षमादान के लिए कोई अलग मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता।

16. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिवम्मा (मृत) बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य: 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1969** के मामले में, इस विषय पर संपूर्ण कानून का अध्ययन करने के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी की:

262. उच्च न्यायालयों को राज्य अधिकारियों या उनके संस्थानों के ऐसे संवेदनहीन रवैये को वैधता प्रदान नहीं करनी चाहिए और यदि विलंब क्षमा की मांग करने वाला पक्ष राज्य प्राधिकरण है तो उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें राज्य की शिथिलता और सुस्ती का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक न्यायालयों को निजी वादी की उदासीनता और पीड़ा को समझना चाहिए। वादियों को ऐसे निरंतर मुकदमों की स्थिति में नहीं रखा जा सकता, जिनमें उनके निर्णयों या अनुकूल आदेशों का फल बाद के चरणों में निष्फल हो जाता है। हम इस चिरस्थायी प्रवृत्ति को दोहराते हुए सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करना चाहते हैं कि पर्याप्त कारण होने तक मामलों को अत्यधिक विलंब से पुनः न खोलें, क्योंकि ऐसा करने से न्यायालय केवल घाव पर नमक छिड़कते हैं, विशेष रूप से सीपीसी की धारा 100 के तहत अपीलों में, जहां उनका अधिकार क्षेत्र पहले से ही विधि के प्रश्नों तक सीमित है।

263. मुकदमों के अंतिम निपटारे के लिए व्यापक गुंजाइश बनाए रखने हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित की जाती है। न्यायिक समय के महत्व से कहीं अधिक, हमें सीमित साधनों वाले वादी की दुर्दशा की चिंता सताती है, जिसे एक विशाल राज्य और उसके जटिल एवं कभी न खत्म होने वाले तंत्र-मंत्र के विरुद्ध मुकदमा लड़ना पड़ता है। ऐसे मुकदमों का निपटारा आरंभिक चरण में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि राज्य के विरुद्ध मुकदमा करने वाला कोई पक्ष, किसी भी कारणवश, अपील में विलंब की क्षमा को चुनौती देने में असमर्थ है, जैसा कि वर्तमान मामले में नहीं है, तो इससे मुकदमा फिर से शुरू हो जाता है और वादी एक बार फिर निराश हो जाता है। विवेकशील न्यायालयों के रूप में, यह हमारा दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि वादी को न्याय की तलाश में दर-दर भटकना न पड़े।

264. किसी भी वादी को इतना सुस्त और उदासीन होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और अदालतों द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए।"

17. जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, हम पाते हैं कि हलफनामे में निहित कथन तथ्यात्मक रूप से गलत होने के अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदमों में अस्पष्ट अंतराल हैं। अपील दाखिल करने में 219 दिनों की देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण विलंब क्षमादान के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।
18. अतः, विलंब की माफी मांगने वाला आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
19. विलंब की माफी मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार किए जाने के मद्देनजर, अपील को समय सीमा के कारण खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (अरुण भंसाली मुख्य न्यायाधीश)

17 फरवरी, 2026

आरके